

राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(कर अनुभाग)

अधिसूचना
जयपुर, अगस्त 5, 2011

राजस्थान विद्युत (शुल्क) अधिनियम, 1962 (1962 का अधिनियम सं. 12) की धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार राजस्थान विद्युत (शुल्क) नियम, 1970 को और संशोधित करने के लिए इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.— (1) इन नियमों का नाम राजस्थान विद्युत (शुल्क) (संशोधन) नियम, 2011 है।

(2) ये तुरंत प्रवृत्त होंगे।

2. नये नियम 3ग का अंतःस्थापन.— राजस्थान विद्युत (शुल्क) नियम, 1970 के विद्यमान नियम 3ख के पश्चात् और विद्यमान नियम 4 के पूर्व, निम्नलिखित नया नियम 3ग अंतःस्थपित किया जायेगा, अर्थात्:-

“3ग. धारा 3 के परन्तुक (3) के खण्ड (ग) के प्रयोजनों के लिए उपभोक्ताओं का प्रवर्ग.— कृषि गैर-मीटर प्रदाय उपभोक्ताओं द्वारा उपभुक्त विद्युत पर विद्युत शुल्क, अधिनियम की धारा 3 के परन्तुक (3) के खण्ड (ग) के अधीन कम किया जा सकेगा और उसमें छूट दी जा सकेगी।”

[सं. एफ. 11(1) एफडी/टैक्स/2004-36]
राज्यपाल के आदेश से,

(डा. रवि कुमार एस.)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को सॉफ्ट कॉपी सी.डी. सहित, इस अधिसूचना के असाधारण राजपत्र भाग 4 (ग) में प्रकाशनार्थ। निवेदन है कि अधिसूचना की 10 प्रतियां इस विभाग को तथा 20 प्रतियां, बिल सहित आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग को प्रेषित करें। कृपया यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि सी.डी. में सॉफ्ट कॉपी, प्रकाशनार्थ दी गई हार्ड कॉपी के समरूप है।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री (वित्त मंत्री) महोदय, राजस्थान, जयपुर।
3. आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि विभाग।
7. निजी सचिव, शासन सचिव, वित्त (राजस्व)।
8. निजी सचिव, शासन सचिव, ऊर्जा विभाग।
9. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग जयपुर।
10. सिस्टम एनालिस्ट, वित्त विभाग, सचिवालय, जयपुर।
11. रक्षित पत्रावली

शासन उप सचिव

**GOVERNMENT OF RAJASTHAN
FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)**

**NOTIFICATION
Jaipur, August 05, 2011**

In exercise of the powers conferred by section 10 of the Rajasthan Electricity (Duty) Act, 1962 (Act No. 12 of 1962), the State Government hereby makes the following rules further to amend the Rajasthan Electricity (Duty) Rules, 1970, namely:-


1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Rajasthan Electricity (Duty) (Amendment) Rules, 2011.

(2) They shall come into force with immediate effect.

2. Insertion of new rule 3C.- After the existing rule 3B and before the existing rule 4 of the Rajasthan Electricity (Duty) Rules, 1970, the following new rule 3C shall be inserted, namely:-


3C. Class of consumers for the purpose of clause (c) of proviso (3) to section 3.- Electricity duty on the electricity consumed by agriculture non-metered supply consumers may be reduced and remitted under clause (c) of proviso (3) to section 3 of the Act."

[No.F.11(1)FD/Tax/04- 36]
By Order of the Governor,


(Dr. Ravi Kumar S.)
Deputy Secretary to the Government

Copy forwarded to the following for information and necessary action:

1. Superintendent, Government Central Press, Jaipur for publication of this notification in part 4(c) of extra ordinary gazette along with a soft copy in CD. It is requested 10 copies of this notification may be sent to this department and 20 copies along with bill may be sent to Commissioner, Commercial Taxes Department Rajasthan, Jaipur. Please ensure that soft copy in CD is same as hard copy as provided to you for publication.
2. Principal Secretary to Hon'ble Chief Minister (Finance Minister) Rajasthan, Jaipur.
3. Commissioner, Commercial Taxes Department, Rajasthan, Jaipur.
4. Accountant General, Rajasthan, Jaipur.
5. PS to ACS, Finance.
6. PS to Principal Secretary, Law.
7. PS to Secretary, Finance (Revenue).
8. PS to Secretary, Energy.
9. Director, Public Relations, Jaipur.
10. SA, Finance (Computer Cell) Department, Secretariat, Jaipur.
11. Guard File.


Deputy Secretary to Government